

02/12/2021

पत्रावली प्रकाशन गांवो के लगे अभियान
 2021 के तहत ग्रामपंच 34पुरा पर भाषाई
 सिविल में निस्तरण हेतु लायी गई। हमने
 पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रा
 ग्राम केशरपुरा पंच 0 34पुरा चित
 आराजी संख्या 89 रकबा 0.5100 हे
 भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है।
 पत्रावली में संलग्न नकल जमावदी संख्या
 2069-2072 अनुसार उक्त आराजी पत्रा
 के नाम खेतदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं।
 उक्त पत्रा का पत्राया पत्र अभियान
 धारा 128 LRA में स्वीकार किया जाकर
 ग्राम केशरपुरा पंच 0 34पुरा चित
 पत्रा की खेतदारी आराजी संख्या 89
 रकबा 0.5100 हे भूमि की विना किली
 के कले में दरदलन्दजी किर सेरलमेरु
 नम्बरे अनुसार पत्थरगढी किर जागे के
 आवेश रिफू जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 500=00
 खर अशरे पांच से खर पत्रा वहन
 करेगा। पालनार्थी तदकीलगा चित्तोजा
 को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित
~~पत्रा~~ पत्रा देकर निमआनुकार पत्थरगढी
 की जावे एवं पालन रिपोर्ट न्यायालय में
 प्रस्तुत करें। पत्रावली के लल शुमार होकर
 नम्बर से कम हो।

2021
281

(श्याम सुन्दर विरनाइ)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
क्र.क/सरिश्ता/प्रा.पत्र 159/2021/204

दिनांक 02/12/2021

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : गोकुल विता लज्जा चमार ~~ख.र.10~~ केशरपुरा
- गाँवी
ब नान

- ① रामा विता माधु जी मीणा R10 केशरपुरा
- ② रामचन्द्र विता युजा चमार R10 केशरपुरा
- ③ लखमीचन्द्र विता भेरा चमार R10 केशरपुरा

— विपरीत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ^{केशरपुरा} खतौनी सं. 8.....
(पण्ड 35पुरा)
सम्बत् 2069-2072 में अकित आराजी नम्बर 89.....
..... कुल कित्त ! रकबा 0.5100 है. भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रूपये 500000 अक्षरे पांच (500000) मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(श्याम सुन्दर विश्योदे)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)